



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-167

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 272621 दिनांक 18/12/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Shyam Lata W/o Naresh Kumar	श्रीमती राशि खण्डेलवाल पत्नी श्री राजेन्द्र खण्डेलवाल	382-NORTH-PART	96.66 SQ. YARD	Private	ORIENTAL ARCADE Sector/Block-	Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) Original Lease Deed (Patta)	निजी खातेदारी की योजना ओरियन्टल आर्केड के भूखण्ड संख्या 382 क्षेत्रफल 193.33 वर्ग गज लीजडीड श्रीमती राशि खण्डेलवाल पत्नी श्री राजेन्द्र खण्डेलवाल के नाम से जारी की गयी। तत्पश्चात जोन कार्यालय द्वारा पत्रांक डी-565 दिनांक 30.01.2020 को भूखण्ड संख्या 382 उत्तरी भाग क्षेत्रफल 96.66 वर्ग गज एवं भूखण्ड संख्या 382 दक्षिणी भाग क्षेत्रफल 96.67 वर्ग गज का नाम हस्तान्तरण/उपविभाजन पत्र श्रीमती मीता माथुर पत्नी श्री आलोक माथुर के नाम से जारी किया गया है। तत्पश्चात श्रीमती



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

मीता माथुर द्वारा
भूखण्ड संख्या
382 उत्तरी भाग
क्षेत्रफल 96.66
वर्ग गज का
बेचान श्रीमती जय
श्री नाहटा पत्नी
श्री गौरव नाहटा
को कर दिया
गया। तत्पश्चात
श्रीमती मीता
माथुर एवं श्रीमती
जयश्री नाहटा
द्वारा उत्तरी भाग
क्षेत्रफल 96.66
वर्ग गज का
बेचान जरिये
रजिस्टर्ड विक्रय
पत्र दिनांक
24.06.2021 के
द्वारा श्यामलता
पत्नी श्री नरेश
कुमार को कर
दिया गया।
आवेदिका श्रीमती
श्यामलता द्वारा
उक्त भूखण्ड का
नाम हस्तान्तरण
एवं लीज होल्ड से
फ्री होल्ड लीजडीड
जारी किये जाने
हेतु आवेदन किया
गया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Shyam Lata W/o Naresh Kumar को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।